उत्तराखण्ड शासन

सू0 प्रौ0, सुराज एवं वि0 प्रौ0 अनु0–03

अधिसूचना

23 मई, 2025 ई0

संख्या–I / 300204 / E-17505/2025/XXXIV(3)/-20(02)21–उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 20 वर्ष 2011) की धारा–03 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, जनसामान्य को नियत समय–सीमा में सेवायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से पूर्व निर्गत अधिसूचनाओं द्वारा अधिसूचित सेवाओं के अतिरिक्त निम्नांकित विभागों द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवायें प्रदान करने की समय–सीमा, प्रथम अपीलीय अधिकारी का पदनाम एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी के पदनाम निम्नवत् अधिसूचित किया जाता है :–

1. तकनीकी शिक्षा विभागः–

क्र0सं0	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय–सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1	पॉलिटेक्निक संस्थान के छात्रों के लिए स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र जारी करना।	प्रधानाचार्य संबंधित संस्थान	07 दिवस	अपर निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, श्रीनगर (गढ़वाल)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
2	अनंतिम अंकतालिका जारी करना।	प्रधानाचार्य संबंधित संस्थान	20 दिवस	अपर निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, श्रीनगर (गढ़वाल)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
3	जमानत / बंधक राशि (Caution money) की वापसी।	प्रधानाचार्य संबंधित संस्थान	15 दिवस	अपर निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, श्रीनगर (गढ़वाल)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
4	चरित्र प्रमाण–पत्र जारी करना।	प्रधानाचार्य संबंधित संस्थान	07 दिवस	अपर निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, श्रीनगर (गढ़वाल)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
5	पॉलिटेक्निक संस्थान के छात्रों के लिए डिप्लोमा प्रमाण–पत्र जारी करना।	प्रधानाचार्य संबंधित संस्थान	30 दिवस	उप सचिव, उ0प्रा0शि0प0, रूड़की	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
6	पॉलिटेक्निक संस्थान के उत्तीर्ण छात्रों के लिये अनंतिम अंकपत्र (Marksheet) जारी करना।	प्रधानाचार्य संबंधित संस्थान	20 दिवस	अपर निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, श्रीनगर (गढ़वाल)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

7	पॉलिटेक्निक संस्थान के छात्रों के लिए जाँच / संवीक्षा (Scrutiny) के परिणाम की धोषणा।	उप सचिव, उ.प्रा.शि.प. रूड़की	30 दिवस	परीक्षा नियंत्रक, उ.प्रा.शि.प. रूड़की	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
8	विशेष बैक पेपर परीक्षा (Examination) के परिणाम की धोषणा।	उप सचिव, उ.प्रा.शि.प. रूड़की	40 दिवस	परीक्षा नियंत्रक, उ.प्रा.शि.प. रूड़की	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
9	अंकपत्र में त्रुटि सुधार (अंको को छोडकर)	उप सचिव, उ.प्रा.शि.प. रूड़की	30 दिवस	परीक्षा नियंत्रक, उ.प्रा.शि.प. रूड़की	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
10	अनंतिम प्रमाण–पत्र जारी करना। (डिप्लोमा)	प्रधानाचार्य संबंधित संस्थान	15 दिवस	अपर निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, श्रीनगर (गढ़वाल)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
11	डुप्लीकेट अंक पत्र जारी करना।	उप सचिव, उ.प्रा.शि.प. रूड़की	30 दिवस	परीक्षा नियंत्रक, उ.प्रा.शि.प. रूड़की	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
12	डुप्लीकेट डिप्लोमा प्रमाण–पत्र जारी करना।	उप सचिव, उ.प्रा.शि.प. रूड़की	30 दिवस	परीक्षा नियंत्रक, उ.प्रा.शि.प. रूड़की	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
13	डिप्लोमा प्रमाण–पत्र में त्रुटि सुधार करना।	उप सचिव, उ.प्रा.शि.प. रूड़की	30 दिवस	परीक्षा नियंत्रक, उ.प्रा.शि.प. रूड़की	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
14	उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति के लिए आवेदन	उप सचिव, उ.प्रा.शि.प. रूड़की	45 दिवस	परीक्षा नियंत्रक, उ.प्रा.शि.प. रूड़की	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
15	प्रतिलेख प्रमाण–पत्र	उप सचिव, उ.प्रा.शि.प. रूड़की	30 दिवस	परीक्षा नियंत्रक, उ.प्रा.शि.प. रूड़की	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
16	माइग्रेशन प्रमाण पत्र के लिए आवेदन	प्रधानाचार्य, संबंधित संस्थान	30 दिवस	उप सचिव, उ.प्रा.शि.प. रूड़की	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
17	अंकतालिका उपलब्ध कराना	प्रधानाचार्य, संबंधित संस्थान	15 दिवस (समय अवधि की गणना संस्थान को परिषद से मुद्रित अंकतालिका प्राप्ति की दिनांक से की जायेगी)	अपर निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, श्रीनगर (गढ़वाल)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
18	स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रति जारी करना	प्रधानाचार्य, संबंधित संस्थान	07 दिवस	अपर निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, श्रीनगर (गढ़वाल)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
19	प्रमाण–पत्रों में विशेष संशोधन (यथा स्वयं के नाम में सुधार, माता–पिता का नाम, जन्म तिथि, कॉलेज का नाम, उत्तीर्ण विषय आदि)	प्रधानाचार्य, संबंधित संस्थान	30 दिवस	परीक्षा नियंत्रक, उ.प्रा.शि.प. रूड़की	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

2. ग्रामीण निर्माण विभागः–

क0स0	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय–सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1	सड़क निर्माण हेतु ए श्रेणी में नवीनीकरण/ पंजीकरण	अधीक्षण अभियन्ता (Monitoring) कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर–1)	03 माह	विभागाध्यक्ष	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
2	भवन निर्माण हेतु ए श्रेणी में नवीनीकरण/ पंजीकरण	अधीक्षण अभियन्ता (Monitoring) कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर–1)	03 माह	विभागाध्यक्ष	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
3	सड़क निर्माण हेतु बी श्रेणी में नवीनीकरण/ पंजीकरण	क– अधीक्षण अभियन्ता (Monitoring) कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर–1) गढ़वाल सम्भाग हेतु। ख– मुख्य अभियन्ता (स्तर–2) कुमाँऊ सम्भाग हेतु।	03 माह	विभागाध्यक्ष	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
4	भवन निर्माण हेतु बी श्रेणी में नवीनीकरण/ पंजीकरण	क– अधीक्षण अभियन्ता (Monitoring) कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर–1) गढ़वाल सम्भाग हेतु। ख– मुख्य अभियन्ता (स्तर–2) कुमाँऊ सम्भाग हेतु।	03 माह	विभागाध्यक्ष	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
5	सड़क निर्माण हेतु सी श्रेणी में नवीनीकरण/ पंजीकरण	संबंधित अधीक्षण अभियन्ता	03 माह	1–परिमण्डल देहरादून एवं पौड़ी हेतु मुख्य अभियन्ता (स्तर–1) 2–परिमण्डल नैनीताल एवं पिथौरागढ़ हेतु मुख्य अभियन्ता (स्तर–2) कुमाँऊ	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
6	भवन निर्माण हेतु सी श्रेणी में नवीनीकरण/ पंजीकरण	संबंधित अधीक्षण अभियन्ता	03 माह	1–परिमण्डल देहरादून एवं पौड़ी हेतु मुख्य अभियन्ता (स्तर–1) 2– परिमण्डल नैनीताल एवं पिथौरागढ़ हेतु मुख्य अभियन्ता (स्तर–2) कुमाँऊ	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
7	सड़क निर्माण हेतु डी श्रेणी में नवीनीकरण/ पंजीकरण	संबंधित अधिशासी अभियन्ता	03 माह	संबंधित अधीक्षण अभियन्ता	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
8	भवन निर्माण हेतु डी श्रेणी में नवीनीकरण/ पंजीकरण	संबंधित अधिशासी अभियन्ता	03 माह	संबंधित अधीक्षण अभियन्ता	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

3. उच्च शिक्षा विभागः—

क्र0स0	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय–सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1.	अनंतिम अंक तालिका उपलब्ध कराना (सेमेस्टरवार / वर्षवार)	सम्बन्धित प्राचार्य	विश्वविद्यालय से अंकतालिका प्राप्त होने के 03 कार्य दिवसों के अन्तर्गत	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
2.	अंतिम अंक तालिका उपलब्ध कराना	सम्बन्धित प्राचार्य	विश्वविद्यालय से अंकतालिका प्राप्त होने के 03 कार्य दिवसों के अन्तर्गत	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
3.	अंक–पत्र त्रुटि सुधार	सम्बन्धित प्राचार्य	विश्वविद्यालय से अंकतालिका प्राप्त होने के 03 कार्य दिवसों के अन्तर्गत	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
4.	स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रति जारी करना	सम्बन्धित प्राचार्य	आवेदन प्राप्त होने के 15 कार्य दिवसों के अन्तर्गत	उप निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

4. बेसिक / प्राथमिक शिक्षा विभागः—

क्र0 स0	प्रदान की जाने वाली सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1.	अंक–तालिका उपलब्ध कराना	प्रधानाध्यापक	परीक्षाफल घोषित होने / अंक तालिका तैयार होने के उपरान्त 07 कार्य दिवस के अन्तर्गत।	उप शिक्षा अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
2.	अंक–पत्र त्रुटि सुधार	प्रधानाध्यापक	आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त 15 कार्य दिवस के अन्तर्गत।	उप शिक्षा अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
3.	अंक–पत्र की द्वितीय प्रति जारी करना	प्रधानाध्यापक	आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त 15 कार्य दिवस के अन्तर्गत।	उप शिक्षा अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

5. चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभागः–

क्र0 स0	प्रदान की जाने वाली सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1.	जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत सरकारी चिकित्सा इकाई में प्रसव कराने पर ग्रामीण क्षेत्र की महिला को प्रसव उपरांत रू0 1400/– की प्रोत्साहन धनराशि एवं शहरी क्षेत्र की महिला को रू0 1000/–की प्रोत्साहन धनराशि दिए जाने का प्रावधान है।	चिकित्सा अधिकारी संबंधित चिकित्सा इकाई	Normal/ C Section प्रसव के बाद 15 दिन के भीतर (सशर्त लाभार्थियों द्वारा प्रोत्साहन धनराशि हेतु संबंधित दस्तावेज जमा किये गये हों।)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
2.	राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम में निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत सभी क्षःय रोगियों को रू0 500/– प्रतिमाह DBT के माध्यम से पोषाहार भत्ता प्रदान किया जाता है।	जिला क्षय अधिकारी	प्रत्येक माह की 07 तारीख तक (सशर्त लाभार्थी द्वारा DBT हेतु सम्बन्धित दस्तावेज जमा किये गये हों।)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
3.	विभागीय सिविल कार्यों हेतु ठेकेदारी का पंजीकरण	निदेशक (नियोजन)	90 दिन	महानिदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
4.	विभागीय विद्युतीय कार्यों हेतु ठेकेदारी का पंजीकरण	निदेशक (नियोजन)	90 दिन	महानिदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

6. खेल विभागः–

क0स0	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय–सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1.	देवभूमि उत्तराखण्ड खेल रत्न पुरस्कार/हिमालय रत्न खेल पुरस्कार/ प्रशिक्षकों को दिये जाने वाले देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार	निदेशक	आवेदन प्राप्त होने के पश्चात 60 दिवसों के भीतर	सचिव	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

7. वित्त विभागः–

क्र0 स0	प्रदान की जाने वाली सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1	पेंशनभोगी के अनुरोध पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पेंशन हस्तान्तरण	सहायक कोषाधिकारी /उप कोषाधिकारी	07 कार्य दिवस	कोषाधिकारी/ वरिष्ठ कोषाधिकारी /मुख्य कोषाधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
	(क) एक ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की एक भुगतान शाखा से उसी स्थान अथवा उसी जिले की दूसरी शाखा में हस्तांतरण।				
	(ख) जनपद स्तर पर सार्वजनिक क्षेत्र के किसी एक बैंक से अन्य किसी दूसरे बैंक में पेंशन हस्तांतरण।				
2	पेंशनभोगी के स्वंय के अनुरोध पर पेंशन हस्तांतरण।				उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
	(क) जनपद कोषागार/उप कोषागार के उसी जनपद के अन्तर्गत अन्य किसी कोषागार/ उप कोषागार में पेंशन स्थानान्तरित किया जाना	सहायक कोषाधिकारी /उप कोषाधिकारी	07 कार्य दिवस	कोषाधिकारी/ वरिष्ठ कोषाधिकारी /मुख्य कोषाधिकारी	
	(ख) जनपद स्थित कोषागार/ उपकोषागार के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनभोगी के पेंशन भुगतान आदेशों को अन्य जनपद स्थित कोषागार/उप कोषागार में स्थानान्तरित किया जाना।	कोषाधिकारी	10 कार्य दिवस	वरिष्ठ कोषाधिकारी /मुख्य कोषाधिकारी	
	(ग) राज्य से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगी की पेंशन अन्य राज्य को हस्तांतरण हेतु पेंशन भुगतान आदेशों को महालेखाकार, उत्तराखण्ड को प्रेषित किया जाना।	कोषाधिकारी	15 कार्य दिवस	वरिष्ठ कोषाधिकारी /मुख्य कोषाधिकारी	
3	मृतक पेंशनभोगी द्वारा वैध नामांकन न किये जाने की दशा में उत्तराधिकारी/ उत्तराधिकारियों को पेंशन भोगी के जीवन कालीन अवशेष पेंशन की धनराशि का भुगतान किया जाना।	कोषाधिकारी	15 कार्य दिवस	वरिष्ठ कोषाधिकारी /मुख्य कोषाधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
4	पी0पी0ओ0 की डुप्लीकेट प्रति जारी किया जाना।	निदेशालय/शिविर कार्यालय हल्द्वानी के स्तर पर पेंशन प्राधिकार पत्र जारी करने वाला सक्षम प्राधिकारी	03 कार्य दिवस	निदेशालय एवं शिविर कार्यालय हल्द्वानी के स्तर पर कार्यालयाध्यक्ष/अपर निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
		सदर कोषागार स्तर पर सक्षम प्राधिकारी /कोषाधिकारी		सदर कोषागार स्तर पर वरिष्ठ कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी।	

8. मत्स्य विभागः—

क्र0 स0	प्रदान की जाने वाली सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1.	मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना अनुदान—28	सहायक निदेशक मत्स्य / जनपद मत्स्य प्रभारी	आवेदन स्वीकृत होने से 60 दिवस के अन्दर (बजट की उपलब्धता पर)	सम्बन्धित मण्डल के उप निदेशक, मत्स्य	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
2.	मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना अनुदान—30	सहायक निदेशक मत्स्य / जनपद मत्स्य प्रभारी	आवेदन स्वीकृत होने से 60 दिवस के अन्दर (बजट की उपलब्धता पर)	सम्बन्धित मण्डल के उप निदेशक, मत्स्य	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
3.	मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना अनुदान—31	सहायक निदेशक मत्स्य / जनपद मत्स्य प्रभारी	आवेदन स्वीकृत होने से 60 दिवस के अन्दर (बजट की उपलब्धता पर)	सम्बन्धित मण्डल के उप निदेशक, मत्स्य	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

9. अल्पसंख्यक कल्याण विभागः—

क्र0 स0	प्रदान की जाने वाली सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1	प्राथमिक / माध्यमिक संस्थानों को मदरसा की मान्यता का नवीनीकरण (Application for Renewal of Recognition of Madrasa for Primary/ Secondary Institutes)	उप रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद, देहरादून।	90 दिन	निदेशक, उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद, देहरादून।	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
2	उच्च माध्यमिक संस्थानों को मदरसा की मान्यता का नवीनीकरण (Application for Renewal of Recognition of Madrasa for Higher Secondary Institutes)	उप रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद, देहरादून।	90 दिन	निदेशक, उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद, देहरादून।	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
3	स्नातक / स्नातकोत्तर संस्थानों को मदरसों की मान्यता का नवीनीकरण (Application for Renewal of Recognition of Madrasa for Graduation/ Post Graduation Institutes)	उप रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद, देहरादून।	90 दिन	निदेशक, उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद, देहरादून।	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

10. ऊर्जा विभागः–

क्र0 स0	प्रदान की जाने वाली सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1.	Approval of drawing, map, plan and sections as per sec. 53(f) of The Electricity Act, 2003 under regulation 34 (Generating set)	उप मुख्य विद्युत निरीक्षक, विद्युत सुरक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	15 दिन	निदेशक, विद्युत सुरक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
2.	Renewal of electrical installations of generating sets under regulation 34 (upto 250 KVA)	सहायक विद्युत निरीक्षक, विद्युत सुरक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	30 दिन	उप विद्युत निरीक्षक, विद्युत सुरक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
3.	Renewal of electrical installations of generating sets under regulation 34 (Above 250 KVA but not more than 2500 KVA)	उप विद्युत निरीक्षक, विद्युत सुरक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	30 दिन	उप मुख्य विद्युत निरीक्षक, विद्युत सुरक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
4.	Renewal of electrical installations of generating sets under regulation 34 (Above 2500 KVA)	उप मुख्य विद्युत निरीक्षक, विद्युत सुरक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	30 दिन	निदेशक, विद्युत सुरक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

11. माध्यमिक शिक्षा विभागः–

क्र0 स0	प्रदान की जाने वाली सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1	छात्रावास निर्माण की स्वीकृति	उप राज्य परियोजना निदेशक, निर्माण कार्य, समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड।	भारत सरकार की आगामी वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में प्रस्तावित किये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार किये जाने के 15 दिन।	अपर राज्य परियोजना निदेशक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

12. वन विभागः–

क्र0 स0	प्रदान की जाने वाली सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1	Letter of Distance from Forest	उप वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण	आवदेन पत्र प्राप्ति के उपरान्त 10 दिवस में	मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

2. सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत दिवस की गणना कार्यदिवस के रूप में की जायेगी।
3. सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत सेवा की तिथि की गणना, पूर्णरूप से, यथावश्यक दस्तावेजों के साथ प्राप्त आवेदन–पत्र की प्राप्ति के दिवस से मानी जायेगी।
4. उपरोक्त उल्लिखित सेवायें तत्काल प्रभाव से प्रभावी मानी जायेंगी।

नितिका खंडेलवाल,
अपर सचिव।

टिप्पणी–राजपत्र, दिनांक 11–10–2025, भाग 1 में प्रकाशित।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित––]
पी0एस0यू0 (आर0ई0) 03 सूचना प्रो0/481–14–11–2025–200 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)